आदेश 21 नियम 102 सिविल प्रक्रिया संहिता यह माना जाता है कि आपत्तियों का निर्णय एक मुकदमे की तरह नहीं किया जाना चाहिए और उन पर संक्षेप में निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान मामले में, एक बार एक स्पष्ट आरोप है जिसमें यह आपत्ति शामिल है कि जिस डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई है वह निर्णय देनदार के साथ डिक्री धारक की मिलीभगत से प्राप्त की गई है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और न्यायालय को इस संबंध में एक मुद्दा तैयार करने के बाद इस तथ्य पर फैसला देना होगा और दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए उचित अवसर देना होगा।

(13) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और मामले को कार्यकारी न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया जाता है कि वे दलीलों के आधार पर उचित मुद्दे तय करें। पक्षकार और उन्हें अपने-अपने साक्ष्य पेश करने के लिए उचित अवसर देने के बाद मामले पर यथाशीघ्र नए सिरे से निर्णय लें, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर। कोई लागत नहीं.

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर के समक्ष

करनैल सिंह, - अपीलकर्ता

बनाम

एम/एस कालरा ब्रदर्स, सिरसा-प्रतिवादी

आर.एस.ए. 2005 की संख्या 54

27 जनवरी 2009

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 7 नियम 17–भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 62–कमीशन एजेंट द्वारा वसूली के लिए मुकदमा दायर करना–किसान द्वारा बही प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना–बही प्रविष्टियों की फोटोस्टेट प्रतियों को रिकार्ड में लाना और प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करना–बही प्रविष्टियों के लेखक की जांच नहीं करना–केवल एक प्रदर्शनी को चिह्नित करने से दस्तावेजों का प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता–दस्तावेज आवश्यक रूप से कानून के अनुसार साबित किया जाना चाहिए - अपील की अनुमति दी गई - वादी के मुकदमे की डिक्री के तहत निचली अदालतों के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया।

माना गया कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 17 के प्रावधान केवल सक्षम प्रावधान हैं जिनके द्वारा किसी दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सबूत के मानक को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। किसी दस्तावेज़ को आवश्यक रूप से कानून के अनुसार साबित किया जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बही प्रविष्टियाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं की गईं और प्रतिवादी उसकी फोटोस्टेट प्रतियों पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षरों से कोई सांत्वना या शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि ये अस्वीकार्य हैं और नहीं। प्रमाण के मानक की आवश्यकता के अनुरूप।

(पैरा 23 एवं 24)

एल.एन. वर्मा और अशोक वर्मा, अपीलकर्ता की ओर से वकील

जसवन्त जैन, प्रतिवादी की ओर से वकील।

न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर,

(1) वर्तमान नियमित द्वितीय अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सिरसा (इसके बाद) द्वारा क्रमशः 4 अक्टूबर, 2002 और 3 सितंबर, 2004 को पारित निर्णयों और डिक्री को रद्द करने की प्रार्थना की है। 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में वर्णित) और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरसा (जिसे इसके बाद 'प्रथम अपीलीय

न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसके तहत प्रतिवादी-वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया और उसकी अपील खारिज कर दी गई।

(2) संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी, ने रुपये की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जो कमीशन एजेंट के व्यवसाय में लगा हुआ है । बही प्रविष्टियों (खाता पुस्तकों) के आधार पर, पूरी राशि 97,850 रुपये की वसूली की तारीख तक प्रति माह 2% की दर से ब्याज पेंडेंट लाइट और भविष्य के साथ । दलील दी गई कि अपीलकर्ता ने रुपये की राशि ली थी। 8 जून, 1996 से 31 दिसंबर की अवधि के बीच प्रतिवादी से 56,665 रुपये नकद अग्रिम के रूप में प्राप्त किये गये। 1996 में अलग-अलग तारीखों पर इसके हिसाब-किताब में अपने हस्ताक्षर किए। प्रतिवादी के अनुसार, कृषि उपज रु. 28,743.60 लाया गया और उक्त राशि उसके खाते में विधिवत जमा कर दी गई। प्रतिवादी का यह भी मामला था कि अपीलकर्ता ने रुपये की एक और राशि का भुगतान किया था। 2 जनवरी 1997 को 12872.80 रुपये नकद मिले, जो उनके खाते में जमा भी हो गए। कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने 3 जनवरी 1997 को अपना हिसाब चुकता कर लिया था और 27,951.40 रुपये की राशि प्रतिवादी से नकद ले ली और इस प्रकार कुल 43,000 रु. उस पर बकाया हो गए जिसके लिए बही प्रविष्टि की गई और उस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। प्रतिवादी ने कहा था कि 13 जनवरी, 1997 से 17 मार्च, 1997 तक अपीलकर्ता ने रुपये की अग्रिम राशि ली थी। प्रतिवादी से 9,900 रुपये लिए और लेखा पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए। फिर, उन्होंने 7 अप्रैल, 1997 से 30 अप्रैल, 1997 की अवधि के दौरान रुपये की अग्रिम राशि ली। प्रतिवादी से अलग-अलग दिनांकों में 4,500 रुपये लिए गए और बही में इस आशय की प्रविष्टियाँ की गईं, जिन पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। प्रतिवादी ने दलील दी कि लेन-देन शुरू होने के समय, अपीलकर्ता अग्रिम धन पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज देने पर सहमत हुआ था। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने कुल 57,400 रु. प्रतिवादी से अग्रिम राशि के रूप में ली और 23 दिसंबर, 1999 तक 40,450 रु. उस पर ब्याज के रूप में रुपये जमा हुए। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस

दिया, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा और इसलिए, उसने वसूली के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया।

(3) अपीलकर्ता ने अपनी लिखित गवाही में कहा कि प्रतिवादी के पास धन ऋण व्यवसाय में शामिल होने का कोई लाइसेंस नहीं था और इस बात से इनकार किया गया कि उसने कभी ऋण लिया था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी अनुचित लाभ उठाने के लिए भी लाभ उठाया गया था। उन्होंने भी अपने हस्ताक्षरों से इनकार कर दिया और बताया कि वे व्यापारी किसान हैं और वे प्रतिवादी को अपनी उपज बेच रहे थे, लेकिन कोई कर्ज नहीं लिया था।

(4) पक्षों की दलीलों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

(1) क्या वादी रुपये की राशि वसूलने का हकदार है। कथित आधार पर प्रतिवादी से 97,850 रु. ओ पी पी

(2) यदि वाद संख्या 1 सिद्ध हो जाता है, तो क्या वादी किसी ब्याज का हकदार है, यदि हां, तो किस दर से और किस तारीख से? ओ पी पी

(3) क्या फर्म का पंजीकरण प्रस्तुत न करने के कारण वाद पोषणीय नहीं है? ओपीडी

(4) क्या वादी फर्म के पास धन उधार देने का कोई लाइसेंस नहीं है? ओपीडी

(5) राहत

(5) ट्रायल कोर्ट ने, रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य के मूल्यांकन पर, मुद्दा नंबर 1,2 और 3 का फैसला प्रतिवादी के पक्ष में किया, जबकि मुद्दा नंबर 4 का फैसला अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया। नतीजतन, वाद दायर करने की तारीख से वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ उपरोक्त राशि की वसूली का आदेश दिया गया।

(6) व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की गई।

(7) अत: यह अपील।

(8) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने बहुत दृढ़ता से तर्क दिया कि प्रश्न में बही प्रविष्टियाँ कानून के अनुसार साबित नहीं की गई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इसे कथित तौर पर दो व्यक्तियों यानी प्रतिवादी के भाई सोम नाथ और उनके मुनीम प्रेम चंद ने लिखा था, जिन्होंने उनके समर्थन में गवाह बॉक्स में कदम रखा था और उन्हें केवल फोटोस्टेट प्रतियां फॉर्म में रिकॉर्ड पर रखा गया है और उसकी मूल प्रतियां कभी तैयार नहीं की गईं। इसके आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को प्रश्नगत राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए बही प्रविष्टियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इन तर्कों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **सैत ताराजी खिमचंद और अन्य बनाम येलामर्ती सत्यम और अन्य**[1], और **पी. सूद एंड कंपनी बनाम पीरचंद मिसरीमतजी भंसाली**[2], पर भरोसा किया।

(9) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 97,850 रुपये की राशि जिसे प्रतिवादी द्वारा वसूलने की मांग की गई थी, जिसमें मूल राशि 57,400 रुपये शामिल थी और ब्याज राशि 40.450 रुपये प्रति वर्ष 24% की दर से गणना की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने 97,850 रुपये और मुकदमा दायर करने की तारीख से वसूली तक डिक्रीटल राशि पर 6% भविष्य का ब्याज की वसूली के लिए मुकदमे का फैसला सुनाया गया है जो कि कानून के तहत स्वीकार्य नहीं था, जैसे कि बिल्कुल भी मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था, केवल मूल राशि को भविष्य में 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूलने की अनुमति दी जा सकती थी और ब्याज की राशि पर कुछ भी देय नहीं था। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **देविंदर कुमार और अन्य बनाम सिंडिकेट बैंक और अन्य** [3] मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा जताया।

---

[1] एआईआर 1971 एस.सी. 1865

[2] 2005 (3) आर.सी.आर. (सिविल) 64 (मद्रास)

[3] 1994(1) पी.एल.आर. 1

(10) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के हस्ताक्षरों का कथित तौर पर बही प्रविष्टियों की फोटोस्टेट प्रतियों पर उपलब्ध हस्ताक्षरों के साथ मिलान किया गया था, जो कि नहीं किया जा सकता था और चूंकि हस्ताक्षर के साथ-साथ दस्तावेज़ कानून के अनुसार साबित नहीं किए गए हैं, प्रतिवादी के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, **उन्होंने श्री सुरजीत राय बनाम श्री प्रसीएम कुमार खेड़ा और अन्य**[4], पर भरोसा किया।

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बही प्रविष्टियाँ कानून के अनुसार साबित की गई हैं। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 17 के प्रावधानों का हवाला दिया। यह तर्क देने के लिए कि लेखा पुस्तकों को मूल प्रति लाकर रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है और न्यायालय स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी के माध्यम से ऐसा कर सकता है। प्रतिलिपि की मूल से तुलना करें और प्रतिलिपि का नेतृत्व करें और मूल को मालिक को लौटा दें। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि बही प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों को मूल के साथ तुलना करने के बाद प्रदर्शन पी 1 से पी 43 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है, इसलिए जिम्मेदारी का संतोषजनक ढंग से निर्वहन किया गया है। इसे देखते हुए उन्होंने आग्रह किया कि निचली अदालतों के फैसले और डिक्री बिल्कुल सही हैं।

(12) मैंने संबंधित तर्कों/प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड का सूक्ष्मता से अवलोकन किया है।

(13) पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या बही प्रविष्टियाँ कानून के अनुसार साबित हुई हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि निष्कर्ष अन्यथा है, तो प्रतिवादी का मुकदमा आवश्यक रूप से विफल हो जाएगा।

(14) अपीलकर्ता का मामला यह है कि बही प्रविष्टियों की फोटोस्टेट प्रतियों को केवल चिह्नित किया गया था और कानून के अनुसार साबित नहीं

---

[4] 1995 (2) पी.एल.आर. 140 (एस.बी.)

किया गया था, जबकि प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि आदेश के सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 17 प्रावधानों के अनुपालन के बाद इसे रिकॉर्ड पर पेश किया गया था और, इसलिए, उन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया।

(15) रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि पी 1 से पी 43 तक प्रदर्शित प्रत्येक दस्तावेज पर एक मोहर लगी होती है जिस पर अंग्रेजी में लिखा होता है - "उपरोक्त फोटोस्टेट मूल बाही की सही प्रतिलिपि है" और इसके नीचे, कुछ प्रारंभिक अक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये आद्याक्षर प्रतिवादी के हैं या न्यायालय के। जो भी हो, न्यायालय को यह देखना है कि क्या ये दस्तावेज़ वास्तव में साबित हुए थे।

(16) रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन दस्तावेज़ों को 3 मई 2001 को प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया गया था जब पीडब्लू 1-अमर नाथ का बयान दर्ज किया गया था। उसने उसमें गवाही दी थी कि वह उस दिन अदालत में असली बही लाया था। उन्होंने यह भी कहा कि सोम नाथ और प्रेम चंद जीवित थे और प्रविष्टियाँ उनके हाथों से बनाई गई थीं और वह उनकी लिखावट से परिचित थे और उसे पहचानते थे। इसके बाद, वर्ष 2002 में, जब साक्ष्य के संबंध में मामला अभी समाप्त नहीं हुआ था, ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश, दिनांक 4 जून, 2002 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने वर्ष 1997-98 के लिए रोकड बही का उत्पादन किया था, लेकिन उसने कहा कि बही के लिए वर्ष 1996-97, जिसे प्रस्तुत करना आवश्यक था, 19 अप्रैल, 2002 को खो गया था। यह भी नोट किया गया कि प्रतिवादी ने अपने बयान के समर्थन में, डी.डी.आर. की एक प्रति प्रस्तुत की थी। रपट नंबर 22, दिनांक 25 अप्रैल, 2002 को थाना शहर, सिरसा में पंजीकृत।

(17) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 17 निम्नानुसार पढ़ता है:-

"17. शॉप-बुक का उत्पादन-

(1) बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891, (1891 का 18) द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने तक बचाएं, जहां जिस दस्तावेज़ पर वादी मुकदमा करता है वह शॉप-बुक या अन्य में एक प्रविष्टि है खाता उसके कब्जे या शक्ति में है, तो वादी को वाद दायर करते समय उस प्रविष्टि की एक प्रति के साथ पुस्तक या खाता प्रस्तुत करना होगा जिस पर वह भरोसा करता है।

(2) मूल प्रविष्टि को चिह्नित किया जाएगा और लौटाया जाएगा: - न्यायालय, या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करता है, पहचान के उद्देश्य से दस्तावेज़ को तुरंत चिह्नित करेगा, और, मूल के साथ प्रतिलिपि की जांच और तुलना करने के बाद, यदि यह सही पाया जाता है, तो इसे प्रमाणित करें और पुस्तक को वादी को लौटा दें और प्रतिलिपि दाखिल करवाएँ।

(18) कानून के उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह एक प्रक्रिया प्रदान करता है कि दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर कैसे लाया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रावधानों के तहत किसी दस्तावेज़ को साबित करने के लिए प्रमाण के मानक और तरीके की आवश्यकता होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 से मुक्ति मिल सकती है। दस्तावेज़ों को केवल रिकॉर्ड पर लाया गया और उन पर सबूत के आवश्यक मानक लागू किए बिना प्रदर्शन के रूप में प्रचारित किया गया। बही प्रविष्टियों के लेखक की जांच नहीं की गई और केवल फोटोस्टेट प्रतियां प्रदर्शित की गईं जिनमें कथित तौर पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर थे।

(19) इसके अलावा, प्रतिवादी ने गवाह बॉक्स में उपस्थित होकर स्वीकार किया था कि प्रविष्टियाँ उसके भाई और उनके मुनीम के हाथों में हैं, जो जीवित थे, लेकिन अजीब बात है, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उनकी जांच क्यों नहीं की गई बही प्रविष्टियों के समर्थन में।

(20) **सैत ताराजी खिमचंद और अन्य के मामले** (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित इस प्रकार था: -

"किसी प्रदर्शनी को चिह्नित करने मात्र से दस्तावेज़ों का प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता। यह कहना आम बात है कि नकारात्मक को साबित नहीं किया जा सकता।"

(21) यहां तक कि फोटोस्टेट प्रतियों पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षरों की भी जांच नहीं की जा सकती थी जैसा कि प्रतिवादी ने एक हस्तलेखन विशेषज्ञ को पेश करके किया था। **श्री सुरजीत राय के मामले में** (सुप्रा) एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"...मेरी राय में, हस्ताक्षरों की तुलना समझौते का फोटोकॉपी से नहीं की जा सकती क्योंकि उन्नत प्रौद्योगिकी के इन दिनों में, किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर एक दस्तावेज़ से उठाए जा सकते हैं और सुपर इंपोज़िशन द्वारा दूसरे दस्तावेज़ पर लगाए जा सकते हैं।"

(22) प्रतिवादी द्वारा एक बार मूल बही खो जाने के बाद द्वितीयक साक्ष्य जोड़कर बही प्रविष्टियों को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है।

(23) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 17 के प्रावधान केवल सक्षम प्रावधान हैं जिनके द्वारा किसी दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, सबूत के मानक को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। किसी दस्तावेज़ को आवश्यक रूप से कानून के अनुसार साबित किया जाना चाहिए।

(24) इसलिए, वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि बही प्रविष्टियाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं हुई थीं और प्रतिवादी उसकी फोटोस्टेट प्रतियों पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षरों से कोई सांत्वना या शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि ये अनुमति योग्य नहीं हैं और प्रमाण के मानक की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं।

(25) तदनुसार, मेरी राय है कि वर्तमान अपील में कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं: -

"(ए) क्या खाता बही में प्रविष्टियों पर भरोसा करने वाले पक्ष को अदालत में मूल खाता किताब पेश करनी होगी और यदि मूल खाता किताब अदालत के सामने पेश नहीं की जाती है, तो क्या उस खाता किताब में निहित प्रविष्टियों की फोटोकॉपी पर विचार किया जा सकता है प्रमाण के रूप में ?

(बी) क्या खाता बही में प्रविष्टियाँ केवल उन व्यक्तियों की गवाह के रूप में जांच करके साबित की जा सकती हैं जिनके हाथों से वह बनाई गई हैं?

(सी) क्या खाता पुस्तकों में प्रविष्टियाँ उस गवाह के बयान में प्रदर्शित की जा सकती हैं जिसने इसे दर्ज नहीं किया है?

(घ) क्या खाता बही में प्रविष्टियों पर विवादित हस्ताक्षरों की तुलना खाता बही की फोटोकॉपी से स्वीकृत हस्ताक्षरों से की जा सकती है?

(ई) क्या किसी दस्तावेज़ को प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करना उसके औपचारिक प्रमाण को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है?

(26) उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया गया है।

(27) अत: अपील स्वीकार की जाती है; आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नेहा सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा